न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (S D O) पीपाड़ शहर (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी,–शैतानसिंह राजपुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 67/2018

प्रार्थी –	बनाम	अप्रार्थी–
वेदांता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जरिये जोधपुर टावर,ग्राउण्ड फ्लोर धर्मनारायण जी का हत्था,जोधपुर। जरिये निदेशक बद्रीलाल चौहान एवं मोतीलाल चौहान पुत्र मंगाराम जाति माली		भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री मंसूर अली छीपा,अधिवक्ता प्रार्थी

–निर्णय–

दिनांक– 10.08.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है प्रार्थी वेदांता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की खातेदारी भूमि ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 343/2 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, खसरा संख्या 343/5 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ,खसरा संख्या 343/8 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या नया 437 पर इन्द्राज है उक्त खसरों की तरमीम लट्ठा नक्शा में गलत जगह पर कर दी गई है तथा जहां पर प्रार्थी का कब्जा है वहां पर तरमीम नहीं की जाकर जहां दूसरे लोगों

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

के मकानात व बाड़े बने हुए है वहां पर तरमीम कर दी गई है इसलिए उक्त खसरों की गलत तरमीम को निरस्त कर जहां पर प्रार्थी का भौतिक कब्जा है वहां पर उपरोक्त खसरों की तरमीम किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने बाद नोटिस तामिल दिनांक 06.08.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अशुद्ध तरमीम को शुद्ध किये जाने हेतु अनुशंसा की है तथा अशुद्ध तरमीम को शुद्ध किया जाना विधि सम्मत एवं न्यायोचित बताया है तथा न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के साथ दुबारा जवाब अप्रार्थी तहसीलदार से तलब किया गया जिस पर तहसीलदार पीपाड़ शहर ने दिनांक 25.09.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अशुद्ध तरमीम को शुद्ध किये जाने हेतु अनुशंसा की है तथा अशुद्ध तरमीम को शुद्ध किया जाना विधि सम्मत एवं न्यायोचित बताया है साथ ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट भी जवाब के साथ प्रस्तुत हुई है जिसमें शुद्ध की जाने वाली तरमीम को अलग से रिपोर्ट में नक्शा बनाते हुए दर्शाया गया है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 343/2 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, खसरा संख्या 343/5 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ,खसरा संख्या 343/8 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की तरमीम तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब दिनांक 25.09.2019 के साथ प्रस्तुत हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 के अनुसार तरमीम की जावे तथा वर्तमान अशुद्ध तरमीम को निरस्त किया जावे व प्रार्थना पत्र में सहवन धारा 136 एलआर एक्ट अंकित किया गया है, जिसके स्थान पर धारा 131 एलआर एक्ट पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज,भूमिधारी के जवाब का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं क्षतिपूर्ति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी की ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 343/2 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, खसरा संख्या 343/5 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ,खसरा संख्या 343/8 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपने जवाब में उक्त खसरों की वर्तमान तरमीम को अशुद्ध होना बताया है व अन्य लोगों के कब्जे हेाना बताया है साथ ही प्रार्थी का जहां कब्जा है वहां तरमीम नहीं होने का अंकन भी किया है साथ ही अशुद्ध तरमीम को शुद्ध किया जाना न्यायोचित बताया है व तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपने जवाब दिनांक 25.09.2019 के साथ हल्का पटवारी की जांच एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 प्रस्तुत की है जिसमें भी अशुद्ध तरमीम को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत बताया है इसलिए उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 343/2,खसरा संख्या 343/5,खसरा संख्या 343/8 की अशुद्ध तरमीम को दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में कब्जे अनुसार व मौके अनुसार इन्द्राज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 343/2 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, खसरा संख्या 343/5 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ,खसरा संख्या 343/8 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की तरमीम जो वर्तमान राजस्व नक्शे में की हुई है उसे

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

निरस्त किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब दिनांक 25.09.2019 के साथ प्रस्तुत हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 के अनुसार रिपोर्ट में दर्शाई गई प्रस्तावित दुरस्त तरमीम को राजस्व नक्शे में ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 343/2 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, खसरा संख्या 343/5 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ,खसरा संख्या 343/8 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ में इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में पुख्ता तरमीम कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 निर्णय का भाग रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 10.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner